IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मानवाधिकार की अवधारणा एवं गिलगित – बाल्टिस्तान

* रागिनी शर्मा सरस्वती
एल०एल०एम० , एम०फिल०
(जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र)
हि० प्र० के० वि० वि०
देहरा, (कांगड़ा) हि० प्र०

परिचय : –

विशय – वस्तु के बारे में सविस्तार वर्णन के पूर्व गिलगित – बाल्टिस्तान से संबंधित एक संक्षिप्त वर्णन अति – आव"यक हो जाता है।

भौगोलिक रूप में सर्पाकार रूप से स्थित यह भाग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है। जिसके सोमाओं पर पूर्व में चीन , अफगानिस्तान , एवं पाकिस्तान पि"चम में अवस्थित है। यह हिमालय पहाड़ी क्षेत्र का क्षेत्रफल 72,971 स्क्वायर कि० मी० है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 26 अक्टुबर 1947 को जब जम्मू – क"मीर का विलय किया गया तो महाराजा के द्वारा सम्पूर्ण जम्मू – क"मीर जिसके अंतर्गत जम्मू , क"मीर , लद्दाख , गिलगित एवं बाल्टिस्तान था। किन्तु स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान नामक दे"ा का वि"व पटल पर आगमन के पा"चयत पाकिस्तान की एठ धर्मिता प्रारंम्भ से ही क"मीर पर किसी प्रकार से एकाधिकार प्राप्त करने की रही। जिसके परिणामस्वरूप जम्मू – क"मीर का अतिमहत्त्वपूर्ण भू – भाग गिलगित – बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अपना अवैध रूप से कब्जा कायम कर रखा है।

प्रकृति की सुन्दरताओं से अदभूत यह क्षेत्र सुंदर वर्फीली ग्लेसियर , नदीयाँ और अत्यंत ही सुंदर संस्कृति से उदभूत है। जो पर्यटकों एवं प्रकृति प्रेमीयों के लिए अत्यंत ही आव"यक है।

गिलगित – बाल्टिस्तान को आबादी 2015 में 1.8 मिलियन थी। यहाँ के लोगों द्वारा विभिन्न भाशाएँ बोली जाती थी। परन्तु कोई भी लिपि मान्यता प्राप्त नहीं थी। मूल रूप से बुरू"ासकी , सहीना और खोवर बोली जाती थी एवं उपयोग किया जाता था। परन्तु पाकिस्तान द्वारा गलत ढंग से इस क्षेत्र का उपयोग करने के उपरांत उर्दु भाशा को विद्यालयों में प्रयोग किया जाने लगा ।

मैं पुनः यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक समझती हुँ कि कुछ बातों की आं"ाकपूर्ण पूर्णावृति उपेक्षित है। जम्मू – क"मीर की भौगोलिक आबादी 222236 वर्ग कि० मी० है। जिसमें से अभी 101437 स्क्वायर कि०मी० भारत के प्र"ाासनिक नियंत्रण में है। बचे हुए भाग पाकिस्तान और चीन के अवैधानिक नियंत्रण में है। गिलगित – बाल्टिस्तान का क्षेत्रफल 78114 कि०मी० है। 42685 वर्ग कि० मी० चीन के नियंत्रण में है। गिलगित , गिलगित – बाल्टिस्तान की राजधानी है।

गिलगित – बाल्टिस्तान का धार्मिक संगठन ि"ाया , नुरबक्सी , इस्मायली , सुन्नी और अहलादिस है। यहाँ सीना , बाल्ती , नारबी , क्वार , गुर्जरी , बुरू"ासकी , कुर्की , क"मीरी , पास्तो आदि भाशाएँ बोली जाती है। यह क्षेत्र हिन्दुकु"ा एवं काराकोरम पहाड़ियों से घिरी है। पाकिस्तानी जनगणना 2017 के अनुसार गिलगित – बाल्टिस्तान की आबादी 1.8 मिलियन है , जबकि 1998 के जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 870347 थी। यहाँ कि आबादी में ि"ाया की आबादी 39.85 प्रति"ात , सुन्नी की आबादी 30.05 प्रति"ात , इस्मायली की आबादी 24 प्रति"ात , नूरबक"ी की आबादी 6.1 प्रति"ात

है। 2017 के पाकिस्तानी जनगणना के अनुसार आजाद क"मीर (तथाकथित) की आबादी 4045 मिलियन जबकि 1998 की जनगणना के अनुसार उसकी आबादी 2.97 मिलियन थी।

गिलगित – बाल्टिस्तान प्राकृतिक संपदा एवं पनबिजली से पूर्ण है। जहाँ बहुत सारे सैलानी आया करते हैं। पोलो यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। परन्तु स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सकता है।

1947 ई० तक गिलगित – बाल्टिस्तान में महाराजा हरि सिंह के प्र"ाासन में जम्मू – क"मीर का भाग था। नवंबर 1947 को पाकिस्तान ने मो० आलम को अपना प्र"ाासनिक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया । परन्तु दो वर्श बाद करांची समझौता 1949 के अनुसार आजाद क"मीर (तथाकथित) सरकार भौगालिक और प्र"ाासनिक दृश्टि कोण से प्र"ाासनिक और वैधानिक नियंत्रण को पाकिस्तान के फेडरल गर्वमेंट को समर्पित करने कहा गया। 1970 में हुंजा – नगर को जो आजाद क"मीर (तथाकथित) का भाग है। गिलगित – बाल्टिस्तान के साथ मिला दिया गया। परन्तु यह वहाँ के स्थानीय लोगों को उचित नहीं लगा। जिसके कारण स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्रकट किया गया।

कालांतर में पाकिस्तान द्वारा गिलगित – बाल्टिस्तान के कुछ भाग को चीन के हाथों दिए जाने के उपरांत इस क्षेत्र का सामरिक महत्व भारत एवं पूरे वि"व के लिए एक समस्या उत्पन्न किया है। कुछ दिनों में चीन ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में इस क्षेत्र में काफी खर्च कर ,काराकोरम हाइवे का निर्माण गिलगित – बाल्टिस्तान से होते हुए किया है। जो चीन और पाकिस्तान को जोङता है। पाकिस्तान ने 1999 का कारगिल युद्ध गिलगित – बाल्टिस्तान से किया था। आं"िाक रूप से गिलगित – बाल्टिस्तान के बारे में कुछ और बातों की पूर्णावृति अत्यंत सुसंगत होगी ।

यह पर्वतीय क्षेत्र दो मंडलों गिलगित – बाल्टिस्तान में विभाजित है जिसे पुनः 7 जिलों में बांटा गया है । गिलगित मंडल में गिलगित , दायमर , हुंजा – नगर , घिजर , तथा अस्तोर हैं और बाल्टिस्तान मंडल में स्कार्दू तथा घांचें हैं। कराकोरम , हिमालय , तथा हिंदुकु"ा पर्वत श्रृंखला इसकी पृश्ठभूमि में हैं। इसकी सीमा पुराने जम्मू–क"मीर राज्य के अन्य इलाकों के साथ – साथ चीन के जिनजियांग के स्वायत्त क्षेत्र उग्यूर, अफगानिस्तान के बाखन कोरिडोर तथा खैबर पख्तूनख्वां के चितराल जिले से लगी हुई है। इसका गिलगित – बाल्टिस्तान से ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहा है।

इस क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा को छोङकर हिमालय की 8 सर्वोच्च पर्वत चोटियां तथा 7000 मी० से अधिक ऊंचाई वाली 50 से अधिक चोटियां है। इस क्षेत्र में हिमालय की बर्फ से ढ.की चोटियां , भाक्ति"ाली ग्लेि"ायर तथा संकरी हरी – भरी घाटियाँ हैं जो समुद्र तल से 3000 फीट से लेकर 28,250 फीट तक ऊंचे हैं। धुव्रीय क्षेत्रों को छोङकर वि"व के तीन सबसे बङे ग्लेि"ायर बियाफो ग्लेि"ायर , बाल्टोरो ग्लेि"ायर तथा बाटुरा ग्लेि"ायर इस क्षेत्र में स्थित हैं। इस क्षेत्र में स्थित कई झीलें हैं जिनसे पाकिस्तान को साफ ताजा पानी की आपूर्ति करने वाली अधिका"ा नदियां निकलती हैं। यह क्षेत्र वि"व के दूसरे सबसे ऊँचे पठार का घर है। 5000 वर्ग कि०मी० में फैला देवसाइ मैदान समुद्रतल से 4,115 मी० ऊँचा है, तथा सितम्बर से मई तक बर्फ से ढका रहता है, देवसाइ के गाँव सभी मौसम में चालू सङक द्वारा कारगिल से जुङे हुए हैं।
जलवायु के दृश्टिकोण से भी यहाँ काफी विविधता है। विभिन्न घाटियों से विभाजित पर्वतों से वर्शा – छाया बनती है और इससे मौसम एवं तापमान में अंतर आ जाता है। गर्मी के दिनों में गिलगित एवं चिलास जैसे भाहर काफी गम रहते हैं, लेकिन रात में ठंडे हो जात हैं। वहीं अस्तोर , खाप्लू , यासीन , हुंजा – नगर आदि घाटियों में गर्मी के दिन और रात , दानां समय ठंड रहती है। इन घाटियों का अधिकतम तापमान 20 – 25 सें० है। इन घाटियों में तापमान जनवरी में न्यूनतम स्तर पर होता है , जो साधारणतया 10 से भून्य के बीच रहता है।
गिलगित – बाल्टिस्तान की पूरी जनसंख्या इस्लाम मतावलम्बी है। समय – समय पर धार्मिक उपदे"ाक , विभिन्न दि"ाओं से आए जिससे यहाँ के लोगों की आस्थाओं में पर्याप्त अंतर है। इनमें इस्लाम के आगमन से पूर्व की आस्थाएं भी भाामिल है। दर्दिस्तान के उत्तरी – पि"चमी क्षेत्र , जिसमें हुंजा घाटी भी भाामिल है, के लोग स्माइ मत से जुङे हैं, वहीं नगर तथा गिलगित के पूर्वी भाग के लोग ि"ाया इस्लाम को मानते हैं। इसके दक्षिण में सिंकरियों सुन्नीमत को अपना लिया है। भीन लाग अभी भी अपने प्राचीन रीति – रिवाज और त्योहारों को मानते हैं, हालांकि मौलवियों के दबाव के कारण उनका पारंपरिक उत्साह खो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी भी परियों में वि"वास करते

हैं और डायन से डरते हैं। सिन्करी प्रदे"ा के निवासियों में गाय को न छूने या गौदुग्ध व उसके उत्पादों का उपभोग न करने या गौमांस न खाने जैसी परम्परागत भीन मान्यताएं इस्लामिक प्रभाव के कारण समाप्त हो रही हैं। इनका पालन अब कुछ ही लोग करते हैं और वह भी तब जब परंपरागत रिवाज एकदम आव"यक हो जाते हैं। बाल्टिस्तान में अधिका"ा लोग ट्वेलवर ि"ाया से संबंधित हैं, जबकि कुछ लोग नूरबक्"ाी सम्प्रदाय को मानने वाले भी हैं। नूरबक्"ाी अपने को ि"ाया और सुन्नी दोनों से अलग मानते हैं। वे बाल्टिस्तान के उत्तरी और उत्तरी – पूर्वी भाग में निवास करते हैं, वहीं इमामी ि"ायाओं का बाल्टिस्तान के केंद्रीय , दक्षिणी और पि"चमी भाग में प्रभाव है।

यह क्षेत्र खनिज संपदा में काफी सम्पन्न है। यहाँ पर बहुमूल्य धातुएं एवं रेडियोएक्टिव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ सोने का वि"ाल भंडार है और सोने की बहुत सी खानें बा"ाह , ब्रारालदो , परकुटा , साल्तोरो और ि"ागार नदी , सिंधु नदी और भयोक नदी के क्षेत्र में हैं। सुंदर किस्म के संगमरमर की खान स्कार्दू के नजदीक क्वार्दो में हैं जबकि गुलाबपुर और चोटरों में काला संगमरमर पाया जाता है। चोटरण में लोहे की खान हैं , इसके साथ ही यहाँ, यूरेनियम 238 , माणिक्य , पुखराज , स्फटिक , टोपाज , क्वार्ट्ज लोहा , सल्फर और तेल पाया जाता है।

दर्दिस्तान की अर्थव्यवस्था नदी घाटी के सिंचाई युक्त सीढ.ीदार खेतों में होनेवाली कृशि पर आधारित है। यहाँ की मुख्य फसल मक्का , गेहूँ और जौ है , कुछ घाटियों में चावल की खेती भी की जाती है । ज्वार – बाजरा आदि ऊँचे और मध्य मैदानों में की जाती है। भाहतूत , खुबानी , अंगूर यहाँ के लोकप्रिय फल हैं, जबकि आड़ू , चेरी , सेब , और अंजीर भी इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं जो बाहर भेजे जाते हैं। विशम जलवायु के कारण हरी सब्जियों का उत्पादन और प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है।

यहाँ उद्योग नगण्य है लेकिन ऊनी चादर और वस्त्रों का उत्पादन होता है। यहाँ के लोग कारगिल और लद्दाख के तुलना में गरीब हैं। राजनैतिक दृश्टि से यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही संवेदन"ाील क्षेत्र है तथा काराकोरम राजमार्ग खुलने से इसके सामरिक और राजनीतिक महत्व में और वृद्धि हुई है।

1998 में पाकिस्तान द्वारा यहाँ परमाणु परीक्षण करने तक यह क्षेत्र पर्यटकों का एक बड़ा ठिकाना था जो इस क्षेत्र में रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत था। बेरोजगारी और अवसरों की कमी से यहाँ एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसस लोगों में निरा"ा का भाव फैल रहा है।

यहाँ की कुल जलविद्युत क्षमता का 10 प्रति"ात से भी कम स्थानीय जनता के लिए उपलब्ध है। दूसरी ओर पाकिस्तान का इरादा स्कार्दू और भा"ा में बड़े बांध बनाने का है जिससे पाकिस्तान को सस्ती बिजली प्राप्त हो सके । जिसके परिणाम स्वरूप लाखो एकड़ जमीन जो आबादी युक्त एवं उपजाऊ क्षेत्र है, पानी में डूब जाएगा।

ऐतिहासिक पृश्ठभूमि : –

गिलगित – बाल्टिस्तान को मूल रूप से बलवारिस्तान या बोलोरिस्तान के नाम से जाना जाता था। यह जम्मू – क"मीर के अंतर्गत आता था। सामरिक दृश्टिकोण से चीन और यू० एस० आर० से अति वि"िश्ट रूप से संबंध होने के कारण इसे उत्तरी सीमांचल के रूप से जाना जाता था। ब्रिटि"ा भाासनकाल में ब्रिटि"ा ने इस क्षेत्र को रि"ायन साम्राज्य से अति संबंध होने के कारण रि"ाया को अपना दु"ामन मानते हुए ब्रिटि"ा ने इसकी महत्ता को समझाा । सामरिक बात की महत्ता को समझते हुए ब्रिटि"ा ने हरि सिंह जो तत्काल क"मीर के राजा थे से आग्रह किया कि इस क्षेत्र का नियंत्रण ब्रिटि"ा सेना के अधीन कर दी जाए । महाराजा को इस बात में कोई समस्या नहीं थी। क्योंकि सिर्फ दिवानी और सेना से संबंधित बात थी। जबकि यह क्षेत्र राजा के ही क्षेत्राधिकार में था। बाद में इंडस नदी के किनारे तक का भाग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। यह पट्टा 1 अप्रैल 1935 को 60 वर्शों के लिए ब्रिटि"ा सरकार से की गई । वि"व युद्ध के लगभग दस वर्शों से कुछ अधिक अवधि के बाद वि"व युद्ध – 2 के बाद ब्रिटि"ा सरकार 1947 में इस भाक्ति का हस्तानांतरण करते हुए इस क्षेत्र का अधिकार महाराजा के पक्ष में पट्टा समझौता को निरस्त करते हुए किया। तदोपरांत इस क्षेत्र का प्र"ाासन क"मीर के महाराजा ब्रिगेडियर के द्वारा प्र"ाासनिक भाक्ति का प्रयोग राजनैतिक गवर्नर के रूप में किया जाने लगा । मेजर विलियम ब्रॉन जो गिलगित स्कॉट के नियंत्रक थे क्षेत्र का स्वतंत्र विभाजन के पोशक थे। मेजर ब्रॉन का झुकाव पाकिस्तान की ओर अधिक था। और उन्होनें गिलगित – बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलाने के पक्षधर थे । ब्रिटि"ा पदाधिकारीगण जो पाकिस्तान में रहने का चुनाव किया पाकिस्तानी पदाधिकारीयों के साथ मिलकर हेरफेर करना भाुरू किया। और जम्मू – क"मीर के अंतर्गत सेनाओं को अपना पद त्याग कर जम्मू – क"मीर राजा के खिलाफ विद्रोह करने को प्रेरित किया। तदोपरांत ये लोग गिलगित की ओर प्रस्थान कर वहाँ के गवर्नर को अपने नियंत्रण में कर लिया । अपना सामरिक हित की बात को समझते हुए इस उत्तरी सीमांत क्षेत्र को पाकिस्तान के साथ रहने में अपना हित समझाा । पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गिलगित पर नियंत्रण की उपरांत उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे ब्रजिलापास , गुराइस और स्कादु से कारगिल तक जो बाल्टिस्तान के अंतर्गत था अपना नियंत्रण बढ.ाना भाुरू किया। सामरिक एवं परिस्थितिक के कारण भारतीय सेनाओं द्वारा कुछ महीनों तक इसका विरोध नहीं किया जा सका । 1 नवंबर 1947 को विलियम ब्रॉन द्वारा पाकिस्तान झंडा फहराया गया । एक विद्रोही अंतरिम सरकार की रचना गिलगित के लिए राजा साह रइस खान के नियंत्रण में की गई। जिसका अंत मात्र 15 दिनों के अंतर्गत हो गया। तदोपरांत एक राजनैतिक एजेंट पाकिस्तान के द्वारा सरदार मो० आलम को उस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए भेजा गया। गिलगित – बाल्टिस्तान के लोगों द्वारा विरोध के उपरांत भी ब्रिटि"ा द्वारा इस आधार पर की क्षेत्र में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं । उस क्षेत्र को पाकिस्तान के साथ संहित करना उचित समझा गया।

करांची समझौता 1949 का नियंत्रण आजाद जम्मू – क"मोर (तथाकथित) के सरकार के द्वारा की जाती रही । तदोपरांत उसका नियंत्रण के F.C.R. अंतगत कर दी गई । उक्त F.C.R. के अंतर्गत किसी भी बिन्दु पर अपील करने , न्यायिक प्रतिनिधित्व और संतोशजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अधिकार वहाँ के लोगों से छिन लिया गया। तदोपरांत गिलगित – बाल्टिस्तान के लोगों में असंतोश होने लगा और राजनैतिक प्रजातांत्रिक अधिकार की माँग गिलगित – बाल्टिस्तान के लोगों द्वारा की जाने लगी। परिणामतः राश्ट्रीय समूह जैसे – तंजीमएमिलात और बाल्टिस्तान जमहोरी , महाज का निर्माण हुआ और गिलगित – बाल्टिस्तान के लोगों में राजनैतिक और संवैधानिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा की जाने लगी । क"मीर के महाराजा अक्टुबर 1947 में इस क्षेत्र का भारत के साथ संबंध होने का दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। इस बात का उल्लेख करते हुए कि जम्मू – क"मीर का यह समायोजन गिलगित – बाल्टिस्तान के साथ है। इस प्रकार A.J.K. (तथाकथित) ऐतिहासिक और वैधानिक रूप से गिलगित – बाल्टिस्तान के साथ हिन्दुस्तान का अंग है।

द्वितोय वि"व युद्ध के लगभग 10 वर्शों से अधिक दिनों के बाद जब ब्रिटि"ा सन् – 1927 में भाक्ति के हस्तानांतरण की बात आयी उस समय इस क्षेत्र को महाराजा के नियंत्रण में पुनः बहाल करने

की बात सोंची तदोपरांत इस क्षेत्र का प्र"ाासन ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को राजनैतिक गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।

अधिकतर ब्रिटि"ा पदाधिकारी गण पाकिस्तान में ही अपनी सेवा देना उचित समझाा और अपने लाभ के लिए परिस्थितियों को इस दि"ाा में हेरफेर किया। वे लोग बाँटो और राज्य करो की बात को समझते हुए मुस्लिम पदाधिकारी और जम्मू और क"मीर के सेनाओं को विद्रोहियों के साथ सहयोग करने के लिए उकसाया।

गिलगित पर नियंत्रण के उपरांत पाकिस्तान की सेनाये उससे लगे क्षेत्र बुंजिलापास , गुराइस और स्कार्दू जो बाल्टिस्तान के अंतर्गत कारगिल तक है , पस्थान किया । पाकिस्तानी सेनाओं के लिए यह मौसम उपयुक्त था और दुसरे के लिये पहुँच से बाहर था , ऐसी स्थिति में भारतीय सेनायें कुछ महीनों तक इसका विरोध नहीं कर सकी।

गिलगित – बाल्टिस्तान की आधुनिक समय में स्थिति : –

भारत के परिपेक्ष्य में कारगिल युद्ध के समय गिलगित – बाल्टिस्तान सामरिक दृश्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र का उपयोग मूलतः आधार के रूप में किया गया। कालान्तर में गिलगित – बाल्टिस्तान का महत्व सामरिक एवं राजनैतिक दृश्टिकोण से बहुत बढ.ने लगा। 2009 तक गिलगित – बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के संघीय प्र"ाासित उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता था। इसके अंतर्गत पूर्व की गिलगित एजेंसी , गिलगित बजारत , अस्तोर बजारत और लद्दाख बजारत का स्कार्दू तहसील।

ट्रांसकाराकोरम ट्रैक को 1963 में चीन के साथ सम्मिलत कर दिया गया। गिलगित – बाल्टिस्तान दोनों को दो प्र"ाासनिक डिवीजन के रूप में जाना जाता है। जिसके अंतर्गत 9 जिलें है । गिलगित के अंतर्गत अस्तोर , दायमर , घिजर , हुंजा – नगर और गिलगित है जबकि बाल्टिस्तान के अंतर्गत स्कार्दू तथा घांचें , खरभंग और सीगर हैं। तत्कालिक रूप से इस भाग का प्र"ाासन गिलगित –बाल्टिस्तान एंपावरमेंट और सेल्फ–गवर्नेंस आर्डर जो पाकिस्तान सरकार द्वारा अगस्त 2009 में निर्गत किया गया है। इस आदे"ा के अनुसार गिलगित – बाल्टिस्तान विधान सभा का गठन किया गया जिसमें 24 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य एवं 15 गिलगित – बाल्टिस्तान परिशद् सदस्य की व्यवस्था की गई है। जिसके प्रधान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगें। इसके साथ – साथ हाईकोर्ट के अलावा अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। परंतु ये सभी रचनाएँ संघीय मंत्री – मंडल जो क"मीर और बाल्टिस्तान से संबंधित नहीं है।

मानवाधिकार की अवधारणा :–

जबकि गिलगित – बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू – क"मीर एक ही भूभाग से संबंधित हैं फिर भी दोनों का प्र"ाासन अलग – अलग ढंग से की जाती है। बाहरी लोगों के लिए गिलगित – बाल्टिस्तान का पहुँच प्रतिबंधित है। चीन के दखलअंदाजी के उपरांत भी अंतर्राश्ट्रोय समुदाय द्वारा इस क्षेत्र में कुछ अभिरूचि दिखई गयी है। राजनैतिक , सामरिक , आर्थिक एवं सामाजिक , सांस्कृतिक संबंधित कई समस्याएँ इस क्षेत्र की है। जिसके लिए अंतर्राश्ट्रीय और वि"ोश रूप से सजगता की जरूरत है। 1952 में उत्तरी क्षेत्र के लिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद सृजित किया गया। 1967 में गिलगित में पदस्थापित " रेजिडेंट " पद का सृजन किया गया । राश्ट्रपति याह्म खान द्वारा 1970 में अधिनियम बनाये जाने के साथ ही 1949 का समझौता स्वतः समाप्त हो गया । न्यायालय के विपरीत निर्णय के बाबजूद पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों को ' आजाद क"मीर ' को वापस करनें से इंकार कर दिया। 1963 में पाकिस्तान ने हुंजा के मीर के विरोध के बाबजूद " चीन–पाकिस्तान " के समझौते के तहत हुंजा राज्य का 2500 वर्गमील क्षेत्र चीन को दे दिया ।

इस क्षेत्र को कभी भी पाकिस्तानी संसद में या 'आजाद क"मीर' (तथाकथित) विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहों दिया गया। 1970 में 14 निर्वाचित सदस्यों की एक सलाहकार परिशद् का गठन किया गया , जिसे 1975 में उत्तरी क्षेत्र परिशद् में बदल दिया गया , लेकिन इसे विधायिका या कार्यपालिका की भाक्तियां नहीं दी गई और इस्लामाबाद द्वारा नियुक्त प्र"ाासक इस परिशद् का अध्यक्ष बना रहा।

1999 में इसका विस्तार कर इसे उत्तरी क्षेत्र विधान परिशद् नाम दिया गया। 2000ई० में इसमें अध्यक्ष और 2002 ई० में उपाध्यक्ष पद का सृजन किया गया। परंतु 2004 तक परिशद द्वारा किसी भी विशय पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। उत्तरी क्षेत्र और क"मीर मामले के मंत्रालय को उसके द्वारा लोकहित से जुङे मुद्दों पर 18 प्रस्ताव पारित कर भेजे गए लेकिन कोई भी लागू नहीं किया गया।

रावलपिंडी , पाकिस्तान के कब्जे वाले क"मीर (पीओके) और गिलगित – बाल्टिस्तान के राजनीतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दे"ा और कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों की बिगङती स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है : –

रावलपिंडी में जम्मू – क"मीर अवामी वर्कर्स पार्टी द्वारा आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने पाकिस्तान में बढ.ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के भयावह उदाहरण दिए हैं , अंतर्राश्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सम्मेलन में मानवाधिकार रक्षकों , नागरिक समाज के प्रतिनिधियों , राजनीतिक कार्यकर्ताओं , सामाजिक कार्यकर्ताओं , वकीलों , महिला कार्यकर्ताओं , नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों न भाग लिया ।

इस अवसर पर जम्मू – क"मीर अवामी वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष निसार भााह एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक –ए – इंसाफ सरकार दे"ा में मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल रही है और यह पीओके और गिलगित – बाल्टिस्तान के नियंत्रण क्षेत्र में है।

उन्होनें कहा , ' पीओके के लोगों के पास आर्थिक , राजनीतिक , सामाजिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव है , वे धार्मिक कट्टरपंथियों के बढ.ते प्रभाव और अफगानिस्तान जैसी स्थिति के उभरने के खतरे में हैं ' ।

भााह ने कहा कि पीओके और गिलगित – बाल्टिस्तान के कुछ हिस्सों में धार्मिक चरमपंथी संगठन फिर से संगठित हो रहे हैं।

निसार भााह ने कहा कि चरमपंथी समूहों को अपनी रणनीतिक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने की राज्य की नीति लोगों के जीवन के साथ खिलवाङ कर रही है। पीओके के कई लोग पहले ही ' जिहाद ' और उग्रवाद के नाम पर अपनी युवा पीढ.ी का बलिदान कर चुके हैं, जो वास्तव में एक छद्म युद्ध था , न कि स्वतंत्रता संग्राम।

उन्होनें कहा कि अगर मुल्क धार्मिक चरमपंथी मूल के प्रति अपने वर्तमान आख्यान और सॉफ्ट कॉर्नर को नहीं बदलेगा , तो यह क्षेत्र में और अधिक उग्रवाद को बढ.ावा देगा , इसका खामियाजा निर्दोश लोगों को भुगतना पङ रहा है।

सियालकोट की हालिया घटना (श्रीलंकाई मैनेजर की मॉब लिंचिंग) और ऐसी ही अन्य घटनाएं इस कथा के बुरे उदाहरण हैं। यदि मुल्क अपनी नीति नहीं बदलता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है।

उन्होंने कहा कि चरमपंथी समूहों को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखने का एक सुरक्षित तरीका और अवसर प्रदान किया जाता है यहां तक कि वे दे"ा में सीधे हमले में भाामिल होते हैं , और दूसरी तरफ भाांतिपूर्ण प्रगति"ाील , लोकतांत्रिक , अधिकार – आधारित राजनीतिक , मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों को लगातार प्रताङना , दे"ाद्रोह , आतंकवाद के आरोप , आजीवन कारावास और जबरन गायब करने का सामना करना पङ रहा है।

निसार भााह ने कहा कि पीओके और गिलगित – बाल्टिस्तान की संवैधानिक स्थिति अभी भी औपनिवे"ाक प्रकृति की है , जहां लोगों का कोई अधिकार नहीं है और यहां तक कि अपने संसाधनों पर नियंत्रण नहीं है।

पूरी व्यवस्था संघीय सरकार द्वारा नियंत्रित की जा रही है। दोनों क्षेत्रों की विधानसभाएं और भासक भाक्तिहीन हैं, सारी भाक्ति पाकिस्तान से लगाए गए अधिकारियों के हाथ में है । दे"ा के किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान के संबद्धता के भापथ पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना चुनाव लङने या नौकरी पाने को आव"यकता नहीं है। यह बहुत बङा धोखा है कि इस क्षेत्र को बिना किसी वास्तविक स्वतंत्रता के आजाद कहा जा रहा है।

एचआरसीपी के डॉ ब"ाीर ने कहा कि कोविड – 19 महामारी ने समाज के सभी हिस्सों में बुरी तरह प्रभावित किया है। जिसमें चिकित्सकीय , सामाजिक , राजनीतिक आर आर्थिक रूप से लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

उन्होंने कहा , ' लोगों की गरीबी , असमानताएं और धर्म / वि"वास / लिंग या किसी अन्य बहिश्कार और पर्यावरणीय गिरावट के आधार पर भेदभाव , महामारी और अक्षमता वाली सरकारी नीतियों के कारण समाज को और अधिक कमजोर बना रहा है '।

सम्मेलन ने सियालकोट में प्रियंता कुमारी की अमानवीय हत्या को सही ठहराने के लिए रक्षा मंत्री परवेज खटक के बयान पर उनको बर्खास्त करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार उग्रवाद के मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर है, तो दे"ा को चरमपंथी संगठनों के संरक्षण के खिलाफ नीति बनानी होगी।

सम्मेलन ने पीओके के ददयाल में 13 वर्शीय कि"ाोरी के बलात्कार और हत्या के हालिया जघन्य अपराध पर भी दुःख और गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने दोशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

सम्मेलन ने हाल ही में ग्वादर में अवामी वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष यूसुफ मस्ती खान की गिरफ्तारी की निंदा की । उन्होंने कहा कि खान ने ग्वादर निवासियों को नागरिक , राजनीतिक और आर्थिक अधिकार देने के लिए राज्य की मांग के अलावा और कुछ नहीं किया है , जिसके वे हकदार हैं , खान पर पुरातन और दमनकारी औपनिवे"ाक कानूनों के तहत आरोप लगाना अलोकतांत्रिक और अनुचित है। उन्हें तत्काल और बिना भार्त रिहा किया जाना चाहिए।

अन्य वक्ता वकार काजमी यूकेपीएनसी , सदाकत मुगल जेकेएलएफ , अजहर का"ाीर जेकेएनएपो , लुकमान हकीम जेकेएडब्ल्यूपी , उमर इखलास , मुदस्सर महबूब , आबिद र"ाीद , जलत रूबाब सज्जाद क"ार , भाुजाहत हुसैन एचआर कार्यकर्ता गिलगित – बाल्टिस्तान , राजा मुनीर जम्मू – क"मीर मानवाधिकार आंदोलन , आयोजक आजाद पाटन बांध आंदोलन और वयोवृद्ध वामपंथी नेता प्रोफेसा खालिक ने क्षेत्र में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई।

उन्होने कहा कि सभी मेगा परियोजनाओं का निर्माण स्थानीय सरकारों के उचित पराम"ा के बिना किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं है। उनके संसाधनों को लूटा जा रहा है , और उन्हें इस विकास से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन परियोजनाओं से प्रभावित लोग अपनी जमीन के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की नौकरियों में उपेक्षा की जाती है और यहां तक कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की भी अनुमति नहीं है।

नई दिल्ली , 21 सितम्बर (आईएएनएस) पाकिस्तान जहां संयुक्त राश्ट्र महासभा (यूएनजीए) में वि"व का ध्यान जम्मू एवं क"मीर की ओर आकृश्ट करने की कोि"ा"ा करेगा , वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में उसके द्वारा किये गए अत्याचार को वहां से आजादी चाह रहे स्थानीय लोगों ने बार – बार उठाया है। वहां के स्थानीय लोगों ने अंतिम बार यह मुद्दा इस माह की भारूआत में आयोजित संयुक्त राश्ट्र मानवाधिकार परिशद (यूएनएचआरसी) की बैठक के दौरान उठाया था , जब

गिलगित – बाल्टिस्तान के जानेमाने कार्यकर्ता सेंग एच० सेरिंग ने कहा था कि जिस क्षेत्र से वह आते हैं , वह ' भारत का हिस्सा ' है।

वा"िंगटन डी० सी० में गिलगित – बाल्टिस्तान अध्ययन के निदे"ाक सेरिंग ने यूएनएचआरसी में 11 सितंबर को कहा था , '' गिलगित – बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। संयुक्त राश्ट्र के सदस्यों को यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान बीते 70 वर्शों से वहां एक बडी बाधा बन गया है ''।

उन्होंने पाकिस्तान पर वहां की जनसांख्यिकी बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा , '' आप आ"चर्यचकित हो जाएंगे कि जहां पाकिस्तान क"मीरी लोगों का प्रतिनिध बनने की कोि"ा"ा कर रहा है , वहीं इसने बडे पैमाने पर जनसांख्यिकी में बदलाव कर दिया है।''

उन्होंने यह भी कहा कि भारत द्वारा हटाया अनुच्छेद 370 जम्मू एवं क"मीर में आतंकवाद फैलाने का एक हथियार बन गया था। पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित – बाल्टिस्तान द"ाकों तक बिना किसी कम्यूनिके"ान के रहा है।

पाकिस्तान ने 1963 में पीओके का एक भाग चीन को दे दिया था। हालांकि पीओके , जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू एवं क"मीर कहता है , उसका अपना संविधान , प्रधानमंत्री और एक राश्ट्रपति है, लेकिन इसकी वास्तविक भाक्ति इस्लामाबाद के पास ही है। जम्मू एवं क"मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने जब 26 अक्टूबर ,1947 को भारत के साथ ' विलय पत्र ' पर हस्ताक्षर किया था , तभी से भारत का मानना है कि पूरा पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है।

इस्लामाबाद ने 1949 में गिलगित – बाल्टिस्तान का प्र"ाासन अपने हाथों में ले लिया था। इसका संवैधानिक दर्जा अधर में लटका हुआ है। पाकिस्तान ने गिलगित – बाल्टिस्तान को पांचवें प्रांत का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि यह कदम क"मीर मुद्दे के समाधान की उसकी मांग के साथ समझौता करना होगा।

बीते वर्श , पाकिस्तान ने गिलगित – बाल्टिस्तान आदे"ा जारी किया था , जिसके तहत स्थानीय परिशद के पास बचीखुची रहीं भाक्तियां भी छीन कर प्रधानमंत्री को दे दी गई। वास्तविकता यह है कि संयुक्त राश्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) ने जुलाई की अपनी रिपोर्ट में पीओके और खासकर गिलगित – बाल्टिस्तान में बडे पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन का उल्लेख किया था।

ओएचसीएचआर ने स्पश्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ' आजाद जम्मू एवं क"मीर और गिलगित – बाल्टिस्तान में अभिव्यक्ति , विचार , भाांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की आजादी पर नियंत्रण ' ने ओएचसीएचआर समेत मानवाधिकार स्थिति का जायजा लेने से रोक दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार , दोनों क्षेत्रों में संवैधानिक बदलाव किए गए हैं , लेकिन ये लोग ' मुख्य समस्या को सुलझाने में विफल रहे हैं , जो इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के पूरे मानवाधिकारों पर पाबंदी लगाता है।'

ओएचसीएचआर ने कहा था कि ' आजाद जम्मू एवं क"मीर का अंतरिम संविधान पाकिस्तान के कब्जे की आलोचना करने वाले किसी भी नागरिक पर कई तरह की पाबंदियां लगाता है , जबकि यह पाकिस्तान के अभिव्यक्ति , विचार रखने और सभा करने की आजादी के सभी दावों के उलट है।'

Additional Refernces : -

1. Altaf Hussain , The Gilgit Baltistan Reforms 2009 , Report by the Forum of Federations Project , December 2009 at http://www.forumbed .org/en/ pubs / Pakistan / Gilgit-Baltistan%20Reforms%20A Hussain% 20 Final Dec 09. doc , p.6.
2. For a comprehensive Pakistani perspective on Gilgit Baltistan's history see Ahmad Hasan Dani, History of the Northern Areas of Pakistan.
3. Text of the Gilgit Baltistan Legal Framework Order (LFO) of 1994.
4. Gilgit – Baltistan : Members of the EU Parliament Form " Friends of Gilgit – Baltistan", November 6, 2009 at http : // www.unpo.org / article / 10307.
5. Gilgit – Baltistan at http : // www . unpo .org / content / view / 8727/256/.
6. Alok Bansal and Priyanka Singh , Bhasha Dam : A Tomb Stone of Gilgit – Baltistan's Aspirations , IDSA Strategic Comments , January 31 , 2009 at http:// www.idsa.in / idsastrategiccomments /Bhasha Dam A Tomb Stone of Gilgit – Baltistans Aspirations _ A Bansal % 2C%20PSingh_310109.
7. Ahmad Hassan Dani , History of the Northern Areas of Pakistan , Sange Meel Publications, Lahore , Pakistan 2001 , p , 294.
8. William Brown was transferred to the Frontier Constabulary , the police force of the North Western Frontier Province (Pakistan) where he served in various capacities for the next two years. In 1959, William Brown and his family returned to the United Kingdom .